भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 235
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता

235. डॉ. कलानिधि वीरास्वामीः
श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डीः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो इस राशि में प्रस्तावित वृद्धि का ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत सहायता राशि में किसी वृद्धि के पक्ष में अथवा इसके विरुद्ध क्या कारण हैं;

(घ) सरकार की यह सुनिश्चित करने के लिए क्या योजना है कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र किसानों, विशेषकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले किसानों तक प्रभावी रूप से पहुंचे;

(ङ) क्या सरकार प्रधानमंत्री किसान योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किन्हीं अन्य उपायों पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की बागवानी, पुष्प कृषि, औषधीय जड़ी-बूटियों के अलावा मत्स्यपालन और बकरी पालन में संलग्र व्यक्तियों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभों का विस्तार करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ङ) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष रुपये 6,000 का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने शुरुआत से अब तक 18 किस्तों में रुपये 3.46 लाख करोड़ से अधिक का संवितरण किया है।

वर्तमान में, इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च) पीएम-किसान योजना के तहत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारक होना प्राथमिक पात्रता मानदंड है। बागवानी, फूलों की खेती, औषधीय जड़ी-बूटियों के अलावा मत्स्य पालन और बकरी पालन में लगे सभी कृषि योग्य भूजोत वाले किसान इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

****